

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

ज्ञापन

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन कार्यरत श्री रुपेश कुमार (कोटि क्रमांक-486/2024), प्रखंड आपूर्ति निरीक्षक, कुमारखंड, मधेपुरा के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के पत्रांक-556 दिनांक-19.06.2026 द्वारा ई-पॉश मशीन एवं अवशेष खाद्यान्न को श्री अजय कुमार पासवान, जन वितरण प्रणाली विक्रेता (अनुज्ञप्ति संख्या-05/2013) से श्रीमती सरिता कुमारी, जन वितरण प्रणाली विक्रेता (अनुज्ञप्ति संख्या-149/2018) को हस्तगत कराने हेतु दिये गये निदेश के अनुपालन नहीं करने, दिनांक-16.06.2026 को आयोजित जिला जनता दरबार में जिला पदाधिकारी द्वारा खोजबीन के क्रम में अनुपस्थित रहने एवं मोबाईल स्वीच ऑफ पाये जाने के आलोक में पूछे गये स्पष्टीकरण का जवाब असंतोषजनक पाये जाने तथा अपने कार्यों के प्रति लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता जैसे आरोप प्रतिवेदित करते हुए आरोप पत्र विभाग को उपलब्ध कराया गया।

उल्लेखनीय है कि उपलब्ध कराये गये आरोप पत्र के चतुर्थ भाग में साक्षियों की सूची अंकित नहीं रहने के आलोक में वांछित सूची उपलब्ध कराने हेतु जिला पदाधिकारी, मधेपुरा से अनुरोध किया गया। उक्त के क्रम में जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के पत्रांक-735 दिनांक-11.08.2026 द्वारा चतुर्थ भाग में साक्षियों की सूची अंकित करते हुए अग्रेतर कार्रवाई के निमित्त विभाग को उपलब्ध कराया गया है।

अतः उपर्युक्त आरोपों के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17/19 के संगत प्रावधानों के अधीन श्री रुपेश कुमार के विरुद्ध जाँच करने का प्रस्ताव है।

2. उक्त आरोपों से संबंधित आरोप पत्र तथा प्रत्येक आरोप के मद्दों को सिद्ध करने वाले साक्ष्य अभिलेखों की प्रतियाँ संलग्न करते हुए श्री रुपेश कुमार (कोटि क्रमांक-486/2024), प्रखंड आपूर्ति निरीक्षक, कुमारखंड, मधेपुरा से इसके द्वारा अपेक्षा की जाती है कि 07 दिनों के अन्दर अपने बचाव का एक लिखित अभिकथन विभाग को अवश्य प्रस्तुत करें तथा यह भी बतायें कि जिन आरोप के मद्दों को आपके द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है, उनकी व्यक्तिशः सुनवाई चाहते हैं।

3. श्री कुमार को यह भी सूचित किया जाता है कि उक्त आरोपों के मद्दों के संबंध में बचाव का लिखित अभिकथन 07 दिनों के अन्दर विभाग को अप्राप्त रहने की स्थिति में अग्रेतर निर्णय उपलब्ध साक्ष्य/अभिलेखों के आधार पर कर लिया जाएगा।

(रुपेश कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापक-प्र08-गो0आ0(मधेपुरा)-16/2026 5218 खाद्य, पटना/दिनांक- 21/08/2026
प्रतिलिपि-1. श्री रुपेश कुमार (कोटि क्रमांक-486/2024), प्रखंड आपूर्ति निरीक्षक, कुमारखंड, मधेपुरा, E-Mail ID : rupeshkumar8208@gmail.com, Mobile No. 9451850211 को आरोप पत्र एवं साक्ष्य अभिलेखों के साथ (अनु0-यथोक्त) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. जिला पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा/अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. उप सचिव (कनीय प्रभारी), प्रशाखा-03/आई0 टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु), खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रुपेश कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।